

क्रमांक प. 7 (11) वित्त/एसपीएफसी/2017 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक: 29.07.2021

परिपत्र

विषय : GeM Portal पर किये जा रहे उपापन के संबंध में विभिन्न उपापन संस्थाओं की बकाया भुगतान राशि के भुगतान को सुनिश्चित करवाने बाबत।

संयुक्त शासन सचिव एवं सी.एफ.ओ. जैम, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 26.07.2021 द्वारा अवगत कराया है कि राज्य के विभिन्न उपापन संस्थाओं द्वारा जैम पोर्टल पर उपापन किया जा रहा है, किन्तु कुछ उपापन संस्थाओं द्वारा जैम पोर्टल पर किये जा रहे उपापन का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिस कारण भविष्य में राज्य सरकार के विभिन्न उपापन संस्थाओं की Poor Rating के कारण विक्रेताओं द्वारा संतोषप्रद सेवाएं दिया जाना संभव नहीं होगा।

संबंधित प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि अपने अधीन उपापन संस्थाओं को निर्देशित करावें कि, जैम पोर्टल पर किये गये उपापन के संबंध में बकाया भुगतान राशि का निस्तारण नियमानुसार अतिशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जावे।



(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट), राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उपशासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।



(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव